

P. N. G. Teachers' Training College, Harigan

Smt. P. M. Jena

Dt. 27/04/2021

Designation - Asst. Prof.

Sub. - CC-6 (Gender, School & Society)

Course - B.Ed (first year, session - 2020-22)

E. Content - "Land marks from social reform movement"

2021/4/27 11:57

नारीवादी आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में समाजीकरण के सिद्धांत (Socialisation Theory in the Context of Women Movement)

■ समाजीकरण का सिद्धांत (Socialization Theory) :

1960 एवं 1970 के दशक से प्रारम्भ कई नारीवादी आंदोलनों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ता। उदाहरण के तौर पर महिलाओं को घर की चाहारदिवारी के अन्दर देखा जाता है तो पुरुष को चाहारदिवारी के बाहर। इस प्रकार महिलाएँ सभी क्षेत्रों में, पुरुषों की तुलना में कम कमाती नजर आ रही है। पैंक कौलर जौन्स और Service Sector में महिलाओं का नाटकीय रूप से अधिक प्रतिनिधित्व दिखता है। वहीं गणित, कम्प्यूटर साइंस, इंजिनियरिंग तथा विमान में कम प्रतिनिधित्व दिखता है। कुछ यदि मुट्ठी भर महिलाएँ नेतृत्व करती हैं तो उन्हें काफी High-light किया जाता है, इसके विपरीत पुरुष महिलाओं से कहीं ज्यादा विजनेस, राजनीति तथा उच्च तनख्वाह वाली नौकरियों में महत्वपूर्ण स्थितियों में दिखाई देते हैं।

दूसरे मामले में भी महिलाओं की स्थिति भी अभी सुधरी नहीं है, बल्कि बिगड़ती ही जा रही है। जैसे—बलात्कार, बच्चों का शोषण, जीवन साथी द्वारा उत्पीड़न, लैंगिक हिंसा आदि में बड़े पैमाने पर शिकार बनाया जा रहा है।

अतः महिलाओं की समस्या एवं शिक्षा में सुधार लाने के लिये मुख्य रूप से चार प्रकार की नारीवादी विचारधाराएँ देखने को मिलती हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है। जो निम्न है—

समाजीकरण का सिद्धांत 19760 से लेकर 1970 के प्रारम्भ तक काफी व्यापक था। इसके पश्चात् जेन्डर अंतर सिद्धांत ने केन्द्रिय रूप ले लिया। 1980 से 1990 के दशक तक संरचनावादी और De-constive विश्लेषणों ने नारीवादी शिक्षण सिद्धांतों पर अपना प्रभुत्व बनाये रखा।

उदारवादी नारीवाद, स्त्री और पुरुष की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष की बात करते हैं। काफी हद तक समाजीकरण तथा जेन्डर अंतर नारीवादियों से सहमत दिखाई पड़ता

है, क्योंकि समाजीकरण सिद्धांतकार स्त्रीत्व को लादी गई या थोपी गई भूमिका मानते हैं जबकि जेन्डर अंतर स्त्रीत्व को प्राप्त या पैतृक मानते हैं। दोनों ही सिद्धांतकार तंत्र के अंदर सुधार पर बल देते हैं, न कि तंत्र या व्यवस्था को बदलना चाहते हैं।

समाजीकरण सिद्धांतकार कहते हैं कि स्त्रीत्व कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह स्त्रियों को दी जाने वाली निम्नतर शिक्षा का परिणाम है। उन्हें बचपन से ही लिंग के अनुरूप समाजीकरण करना सिखाया जाता है। जिस कारण बचपन से ही वह असहाय, संकोची, संवेदनशील अपने सौन्दर्य के प्रति सचेत एवं दूसरे से स्वयं को कमतर मानने लगती है। अपने परिवार, समाज, मित्र, विद्यालय से लड़कियाँ स्वयं के प्रति अस्वीकृत भेंट व्यवहार को सिखाती हैं और मीडिया भी इस संदेश को पुनर्वर्लित करता रहता है कि स्त्रियाँ सजावटी वस्तुएँ हैं। न कि सक्रिय। जब परिवार में लड़कियाँ कुछ बोलना चाहती हैं तो उन्हें रोका जाता है तथा महसूस कराया जाता है कि तुम्हें लड़के जैसा ज्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हें ससुराल जाना है। इस तरह बोलना तुम्हारे लिये नुकसानदेह होगा। इसलिए लड़कियाँ अपनी आवाज को नहीं निकाल पाती हैं और लड़कियों में निहित निष्क्रियता, झिझक आदि उनके साथ किये गये व्यवहार के कारण होती है।

शुरूआती द्वितीय लहर के नारीवादी विचारक इस नजरियों को खारिज करते हैं कि चूंकि लड़कियाँ पुरुषवादी विषयों जैसे—गणित व विज्ञान में खराब प्रदर्शन करती हैं। अतः वे अन्य शैक्षणिक स्तर प्राप्त नहीं कर सकती। समाजीकरण सिद्धांतकार मानते हैं कि लड़कियाँ भी लड़कों के समान शैक्षिक स्तर प्राप्त कर सकती हैं, वशर्तें अध्यापक तथा शिक्षक उन्हें इस बात को मानने के लिये समाजीकरण न करे कि वे कठिन विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। अध्यापक व अभिभावकों को लड़कियों से भेदभावपूर्ण रवैया नहीं रखना चाहिये और उसके मन में किसी विषय का हौवा भी नहीं बनाकर रखना चाहिये। लड़कियों की सफलता की राह की बाधाएँ हटाने के लिये आवश्यक है कि उन्हें जेण्डर निरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाये तथा इस प्रकार से विद्यालय पक्षपात रहित शिक्षा दे पायेगा।

इसी प्रकार यदि अभिभावक लड़कियों से लड़कों के समान ही जटिल तथा चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछे तो संभव है कि लड़कियों में शर्मीलेपन दूर हो जायेगी। समाजीकरण सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि यदि लड़कियों से एक तार्किक तथा सक्षम व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाये तो लड़कियाँ भी लड़कों की तरह Smart, स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और रचनात्मक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए उदारवादी नारीवाद की तरह ही समाजीकरण सिद्धांतकार मानते हैं कि सभी के लिये जेण्डर-निरपेक्ष न्याय होना चाहिये तथा कोई व्यक्ति किसी भी जेण्डर का हो उस पर समान नियम लागू होना चाहिये। इसलिए वर्षों से चली आ रही लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिये सकारात्मक नीतियों व योजनाओं की अत्यंत आवश्यकता है।

इसीलिये कामकाजी महिलाओं के हित में उदारवादी नारीवाद ने विभिन्न प्रावधान करने पर जोर दिया है। जैसे बच्चों की देखभाल के प्रावधान तथा मातृत्व लेने का अवकाश जिससे कि स्त्रियों का कैरियर प्रभावित न हो, क्योंकि शिशु के जन्म से स्त्रियों का कैरियर प्रभावित होता है, जबकि पिता बनने से पुरुषों का कैरियर अप्रभावित रहता है। समान कार्य के लिये समान वेतन के लिये भी उदारवादी एकमत हैं, उनका मानना है कि विभेदनकारी नीतियों तथा अन्य बाधाओं को हटा देने से स्त्री एवं पुरुष साथ-साथ विकास कर सकेंगे। समाजीकरण सिद्धांतकार भी मीडिया दृश्यों में कक्षा गतिविधि, पाठ्योत्तर क्रियाओं में, किताबों तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम में भेदभाव दूर करने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार, न्याय के लिये आवश्यक है कि लड़कियों को भी कक्षा में वही अवसर व अनुभव मिलने चाहिये जो कि लड़कों को दिये जाते हैं।

इस प्रकार से समाजीकरण सिद्धांत मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है कि पहला, यह लड़कियों की कुछ क्रियाओं के प्रति स्वाभाविक रुझान होने की प्रवृत्ति को नहीं मानता तथा इस धारणा को ध्वस्त करता है। यदि लड़कियाँ गणित, विज्ञान या खेलों में रुचि नहीं ले रही हैं तो इन्हें इन विषयों की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। यदि वे भौतिकी में रुचि नहीं ले रही हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे पुरुषवादी विषय मान रही हैं या वे विश्वास करती हैं गृहिणी की भूमिका में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। यह सब कोई कारण नहीं है कि लड़कियों को जेण्डर निरपेक्ष विश्लेषण से दूर रखा जाये फिर उन्हें सम्पूर्ण शिक्षा न दी जाय।

दूसरा मुद्दा जो समाजीकरण सिद्धांतकारों ने उठाया है स्कूल और कॉलेजों में लड़के व लड़कियों के सुविधाओं में असमानता संस्थाओं जैसे विद्यालय स्तर पर कई उदाहरण होते हैं। जहाँ विभेदीकरण तथा असमानता सामने आती है। जैसे-खेल सुविधाओं में लड़कों के पास अधिक विकल्प तथा वित्तीय सुविधा होना।

इस प्रकार से अन्य कई संस्थागत भेदभाव सामने आते हैं। जैसे-स्कूल तक पहुँच तथा प्रवेश की समस्या, शिक्षा का अभाव, रुचिकर पाठ्यक्रम, व्यवसायिक विद्यालय का अभाव आदि।

अतः समाजीकरण सिद्धांत महिलाओं के प्रति समाज द्वारा किये जा रहे भावुक वर्ताव की आलोचना करते हुए, जेण्डर निरपेक्ष प्रतिमान बनाये जाने पर बल देता है।

■ जेण्डर-अन्तर सिद्धांत (Gender Difference Theory) :

सामाजीकरण सिद्धांतकार (Socialization theorists) लड़कियों के लड़कों से अन्तर या अलग होने की समस्या मानते हैं, तथा समझते हैं कि इसे खत्म किया जाना आवश्यक है जबकि जेण्डर-अन्तर सिद्धांतकार (Gender-difference theorists) विश्वास करते हैं कि स्त्रीत्व के गुणों (female/feminine traits) को पहचाना जाना चाहिये तथा महत्व

तक पहुँचते हैं। वह भिन्न होती है। लड़के वयस्कता की तरफ बढ़ते हुये अपनी माँ से भिन्नता की दिशा में विकसित होते हैं, जबकि लड़कियाँ अपनी पहचान, अपनी माँ के संदर्भ में ही देखती हैं। गिलिगिन का तर्क है, इसका नतीजा यह होता है कि दुनिया के साथ स्त्रियों का जुड़ने का तरीका ज्यादा मनोगत, भावनात्मक तथा सम्बन्धपरक (relational) होता है जबकि पुरुषों का तरीका ज्यादा वस्तुपरक या भौतिक होता है क्योंकि वयस्क होते हुये लड़के महसूस करते हैं कि वे माँ से 'भिन्न' हैं जबकि लड़कियाँ महसूस करती हैं कि वे 'वैसी' ही हैं जैसी माँ। स्त्रियाँ दूसरों के साथ संबंधों में स्वयं को देखती हैं जबकि पुरुष स्वयं को अलग देखते हैं। उदाहरणस्वरूप, पुरुष व स्त्री मित्रताओं के स्वरूप में भिन्नता को इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है।

वे आगे कहती हैं कि स्त्रियों व पुरुषों द्वारा नैतिक निर्णय लेने के तरीकों में भी इसलिये फर्क होता है। उसका निष्कर्ष है कि महिलायें सही व गलत के तार्किक कारणों से उतना प्रभावित नहीं होती जितना वह प्यार, सहानुभूति, चिंता या संवेदनशीलता जैसे कारकों से होती हैं। दूसरी तरफ, पुरुषों का नैतिक निर्णय लेने का तरीका इस बात पर आधारित होता है कि समाज किसे सही और किसे गलत मानता है। इसी आधार पर गिलिगिन कहती है कि तार्किकता, स्वायत्तता व न्याय में पुरुष दृष्टि (masculine) से प्राप्त किये गये अनुभवों से ही निकले हुये मूल्य हैं तथा यहाँ नारी के अनुभव अदृश्य हैं। तथा इस फर्क की यदि कोई नहीं चिन्हित करता है, या मानता है तो इसका अर्थ है पितृसत्ता की मान्यताओं को मान लेना कि स्त्रीत्व (feministic values) मूल्यहीन है।

नेल नडिंग्स (Nel Noddings) तथा जेन रोलान्ड मार्टिन (Jane Roland martin) का मानना है कि लड़के एवं लड़कियों की स्कूलिंग में हमें अधिक संवेदनाओं, अभिवृत्तियों तथा संबंधों को महत्त्व देना चाहिये जिससे एक देखभाल की प्रवृत्ति (caring orientation) को बढ़ावा मिलता है तथा वे इस प्रवृत्ति (caring) को केवल लड़कियों तक सीमित न रख कर पूरे समाज की आवश्यकता के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि यदि दोनों लिंग के बच्चों को स्वयं को संबंधपरक (relational) दृष्टिकोण से बड़ा किया जाये तो ऐसे में पारंपरिक पाठ्यक्रम जिसमें वस्तुपरकता तथा सूक्ष्म ज्ञान (objectivity & abstractness) पर बल दिया जाता है का स्थान एक कहने को स्त्रीत्व (feminine) आधारित पाठ्यक्रम से लेगा जो समाज के भले के लिये ही होगा। इस प्रकार स्कूलों को एक 'तर्क-आधारित, अनुशासित पाठ्यक्रम' के स्थान पर देखभाल के केन्द्र (centres of caring) के रूप में संगठित होना चाहिये जो 'शरीर, मन तथा आत्मा' (body, mind & spirit) को एकीकरण कर पाये।

कई प्रकार से अन्तर सिद्धांतकारों के मतों में अन्तर देखने को मिलता है, परन्तु इस बात पर सभी एकमत हैं कि लड़कियों की स्कूलिंग की सफलता लड़कों के अनुकरण (Modeling) से ही संभव हो सकती है। पुरुषत्व के गुणों (Masculine Value) को

सार्वभौमिक मूल्यों (universal Values) के रूप में अपनाने के बजाय, स्कूलों की महिलाओं के संबंधपरक (relational values) मूल्यों को अपनाना चाहिये तथा इन्हें भी उतना ही महत्त्व देना चाहिये जितना कि पुरुषों से जुड़ी तार्किक मूल्यों को (Rationalistic values) ।

लिबरल नारीवादियों को वामपंथी चुनौती :

लिबरल नारीवादी या तो महिला से जुड़े मूल्यों को सराहते हैं या फिर पुरुषों के मूल्यों